न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–179/2015/223 आर.टी.एक्ट (2015/00179)

1. मदन पुत्र भूरा, जाति कहार, निवासी गुलगांव, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. पुष्पा पुत्री स्व0 श्री शंकर (फौत) नाम हजफ
2. रामधनी पुत्री स्व0 श्री शंकर (फौत) नाम हजफ
3. करतुरी पत्नी स्व0 श्री शंकर
4. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री शंकर नाबालिग जरिए माता करतुरी पत्नी शंकर
5. नैराज पुत्री स्व0 श्री शंकर नाबालिग जरिए माता करतुरी पत्नी शंकर
6. निकीता पुत्री स्व0 श्री शंकर नाबालिग जरिए माता करतुरी पत्नी शंकर
7. महिमा पुत्री स्व0 श्री शंकर नाबालिग जरिए माता करतुरी पत्नी शंकर समस्त जाति कहार, निवासीगण ग्राम गुलगांव, तहसील केकडी, जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,केकडी जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 157/2014

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद इकबाल, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 08
3. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 7 अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 का नाम हजफ.

निर्णय

दिनांकः–28.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 157/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक नियमित राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गुलगांव, तहसील केकडी, जिला अजमेर में स्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

आराजी खसरा नम्बर 1240 एवं 1241 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 स्थित है जो कि भैरू पुत्र भूरा की आराजीयात है भैरू पुत्र भूरा नाऔलाद फौत हो चुका है, जिनके कोई वारिस जिन्दा नहीं है। भैरू की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। भैरू की पत्नी सामाजिक रितीरिवाज के अनुसार वादी के बंधी थी। इस प्रकार वादी भैरू का एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी है तथा वादग्रस्त आराजीयात पर काश्त कर अपना जीवनयापन कर रहा है। प्रतिवादीगण का उपरोक्त आराजीयात से कोई वास्ता सरोकार नहीं है ना कभी पूर्व में रहा है। प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है, जिससे यह वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया है, नोटिस प्रतिवादीगण जारी किए गए प्रतिवादीगण के द्वारा उपरोक्त वाद का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और उपरोक्त पत्रावली को वर्तमान में चल रहे राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार (लोक अदालत) के तहत सूचीबद्ध किया गया। उपरोक्त प्रकरण में दौराने केम्प कोर्ट एक अंजान महिला के द्वारा स्वयं को भैरू पुत्र भूरा की पुत्री बताते हुए एक प्रार्थना पत्र केम्प कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जिस पर वादी का वाद खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 157/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 3 से 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि भैरू पुत्र भूरा की मृत्यु के पश्चात अपीलांट ही भैरू की समस्त आराजीयात का वारिस था जो कि सामाजिक रिती–रिवाज के अनुसार भैरू की मृत्यु के बाद अपीलांट के पगड़ी की रस्म की गई थी और अपीलांट द्वारा भैरू की समस्त आराजीयात को बहैसियत विरासत प्राप्त किया गया था। जिसका नामांतरकरण भी अपीलांट के नाम ही दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2015 काबिल निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट (लोक अदालत) के तहत सुनवाई के लिए रखा गया था जहां पर एक अंजान महिला के द्वारा केम्प कोर्ट भैरू पुत्र भूरा की पुत्री बताते हुए एक प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त फरमाए जाने दावा प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय द्वारा बिना इस तथ्य की ताईद किए कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाली महिला वाद में पक्षकार नहीं है और ना ही वाद में पक्षकार बनने हेतु कोई आवेदन पूर्व में प्रस्तुत किया है। जिससे अपीलांट के वाद को बिना सुनवाई का अवसर दिए निरस्त करने में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा त्रुटि कारित की है। जिससे उनका निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2015 काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि जिस प्रार्थना–पत्र के आधार पर अपीलांट का वाद खारिज किया गया है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण का जवाबदावा भी प्रस्तुत नहीं हुआ है और ना ही साक्ष्य पूर्ण हुई है। ऐसी स्थिति में अपूर्ण स्थिति में अपीलांट के वाद को खारिज कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा त्रुटि कारित की गई है जबकि लोक अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

के तहत प्रकरण राजीनामें के तहत या सहमति के आधार पर ही निरस्तनीय किए जा सकते है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2015 नॉन स्पिकिंग आदेश की श्रेणी में आता है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 157/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2015 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वे उक्त प्रकरण में केवल फोर्मल पक्षकार है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया है, नोटिस प्रतिवादीगण जारी किए गए प्रतिवादीगण के द्वारा उपरोक्त वाद का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और उपरोक्त पत्रावली को राजस्व अभियान न्याय आपके द्वारा (लोक अदालत) के तहत सूचीबद्ध किया गया तथा दिनांक 01.06.2015 वाद का निस्तारण कर दिया गया। अपीलांट का अपनी मुख्य तर्क यह है कि अपीलांट को विधिवत् रूप से बिना नोटिस दिये प्रकरण को कैम्प कोर्ट में सुनवाई के लिए नियत किया गया तथा एक अन्जान महिला भैरू पुत्र भूरा की पुत्री बताते हुए एक प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने दावा प्रस्तुत किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना इस तथ्य की ताईद किये कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता महिला वाद में पक्षकार नहीं है और ना ही वाद में पक्षकार बनने हेतु कोई आवेदन पूर्व में प्रस्तुत किया है को प्रतिवादी मानते हुए वाद में उनकी बहस सुनी जाकर वाद का निस्तारण किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। जब हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया गया तो हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.03.2015 को प्रकरण वास्ते जवाब दावा हेतु नियत था तथा अंतिम अवसर देते हुए आगामी पेशी दिनांक 25.05.2015 नियत की गई तत्पश्चात दिनांक 25.05.2015 को कैम्प कोर्ट बाबत् आदेशिका में मोहर लगाते हुए दिनांक 01.06.2015 नियत की गई तथा दिनांक 01.06.2015 को सीता पुत्री भैरू द्वारा दावा खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के रूप में आधार मानते हुए दिनांक 01.06.2015 को वाद का निस्तारण कर दिया गया, जबकि प्रकरण में सीता पुत्री भैरू ना तो पक्षकार संयोजित थी ना तो पक्षकार बनने हेतु आवेदन किया गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीता पुत्री भैरू को प्रतिवादी के रूप मानते हुए वाद का निस्तारण कर दिया गया है जो विधि सम्मत नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि पत्रावली/प्रकरण में बिना जवाब दावा लिये ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को राजस्व अभियान न्याय आपके द्वारा (लोक अदालत) के तहत दौराने केम्प कोर्ट निस्तारित किया गया जो कि नैसर्गिक न्याय के नियमों के विपरीत है चूंकि कैम्प कोर्ट/लोक अदालत में उन्हीं प्रकरण का निरस्तारण किया जाना संभव है जहां पर उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामे किए जाने हेतु सहमति प्रस्तुत की गई हो, परंतु बिना उभयपक्षकारान की सहमति के अधीनस्थ न्यायालय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण केम्प कोर्ट/लोक अदालत में किया गया जो कि विधि सम्मत प्रतीत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है तथा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 157/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2015 को निरस्त किया जाता है, पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कि जाती है तथा वे प्रकरण में जवाब दावा प्राप्त कर, प्रकरण में तनकीयात कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर